न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

अपील संख्या : 22/2014

1. सायरमल पुत्र श्री सूजाराम, जाति–मीणा, निवासी–ग्राम चौरू, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
2. राजू पुत्र श्री सायरमल, जाति–मीणा, निवासी–ग्राम चौरू, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
3. लाली पत्नी श्री सायरमल, जाति–मीणा, निवासी–ग्राम चौरू, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र मूल्या, जाति–खटीक, निवासी–ग्राम चौरू, तहसील–फागी, जिला–जयपुर (मृतक)।
   - 1/1 बदाम देवी पत्नी स्व0 श्री बाबूलाल, जाति–खटीक, निवासी–ग्राम चौरू, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
   - 1/2 शंकर पुत्र स्व0 श्री बाबूलाल, जाति–खटीक, निवासी–ग्राम चौरू, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
   - 1/3 रामप्रसाद पुत्र स्व0 श्री बाबूलाल, जाति–खटीक, निवासी–ग्राम चौरू तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
   - 1/4 रमेश पुत्र स्व0 श्री बाबूलाल, जाति–खटीक, निवासी–ग्राम चौरू, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
   - 1/5 लाली देवी पुत्री स्व0 श्री बाबूलाल, जाति–खटीक, निवासी–ग्राम चौरू, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
   - 1/6 ललिता देवी पुत्री स्व0 श्री बाबूलाल, जाति–खटीक, निवासी–ग्राम चौरू, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
2. तहसीलदार, फागी जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स

(राजस्व अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांक 01.09.2014 तहसीलदार, फागी जिला–जयपुर बमिसल संख्या 1/2012 उनवानी बाबूलाल बनाम सायरमल वगैराह)

उपस्थितः–

1. श्री हनुमानसहाय सिहाग, अभिभाषक, अपीलान्टस् की ओर से।
2. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।
3. रेस्पोडेन्ट सं0 1/1 लगायत 1/6 बावजूद तामील अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय **दिनांक : 07.12.2017**

तहसीलदार, फागी ने अपनी आज्ञा दिनांक 01.09.2014 द्वारा ग्राम चौरू की आराजी खसरा नं0 3378/मिन 2 रकबा 2 बीघा जो कि मूल्या पुत्र श्री भीवा, जाति–खटीक की खातेदारी आराजी हैं, के कुछ हिस्से पर सायरमल पुत्र श्री सूजाराम, राजू पुत्र सायरमल, लाली देवी पत्नी श्री सायरमल,

जाति–मीणा द्वारा अविधिक रूप से कब्जा किया जाना पाया गया हैं। जिसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत बेदखल कर बाबूलाल पुत्र श्री मूल्या, जाति–खटीक को कब्जा दिलाने का निर्णय पारित कर निर्णय की पालना हेतु गिरदावर हल्का को लिखने की आज्ञा दी हैं, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई हैं।

उक्त आशय की अपील प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट्स जारी किये गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई। रेस्पोडेन्ट् सं0 1 के कायमी–मुकामान 1/1 लगायत 1/6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्वान् अभिभाषक श्री हनुमानसहाय सिंहाग का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, फागी की अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 01.09.2014 विधि–विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 01.09.2014 प्रकरण के तथ्यों को नजर–अदांज कर मनमाने तौर पर पद का दुरूपयोग कर आज्ञा पारित की हैं, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय हैं। आराजी खसरा नं0 3378/मिन 2 रकबा 2 बीधा रेस्पोडेन्ट् सं0 1 अथवा रेस्पोडेन्ट् सं0 1 के वारिसान के नाम खातेदारी दर्ज नहीं हैं बल्कि दर्ज रिकार्ड अनुसार मूलचन्द पुत्र भीवा, जाति–खटीक के नाम दर्ज हैं। वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट्स का कतई कब्जा–काश्त नहीं हैं और न ही वादग्रस्त आराजी से अपीलान्ट्स का कोई संबध–सरोकार हैं। वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 3378/मिन 2 रकबा 2 बीधा और अपीलान्ट्स की खातेदारी आराजी खसरा नं0 3415 व आ0ख0नं0 3426 के बीच गैर–मुमकिन रास्ता आराजी खसरा नं0 3438 स्थित हैं, जो वर्तमान में मौके पर चालू हैं एवं डामरीकरण सडक बनी हुई हैं। गैर–मुमकिन रास्ते के एक–तरफ अपीलान्ट्स की खातेदारी आराजी हैं व दूसरी ओर रेस्पोडेन्ट् सं0 1 के पिता के नाम दर्ज खातेदारी भूमि हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का/गिरदावर हल्का से मौका रिपोर्ट तलब की गई हैं। मौका रिपोर्ट दिनांक 01.06.2012, दिनांक 08.06.2012 एवं दिनांक 13.06.2012 में पटवारी हल्का/गिरदावर हल्का ने मौका रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से जाहिर किया है कि दोनों पक्षो के खातेदारो की भूमि की नाप हो चुकी हैं और दोनों पक्षों को रास्ता नापकर समझा दिया हैं कि एक पक्ष रास्ते के इधर तथा दूसरा पक्ष रास्ते के उधर हैं तो धारा 183बी का मामला बनता ही नहीं हैं। भू–अभिलेख निरीक्षक,

चौरू की रिपोर्ट दिनांक 08.06.2012 में स्पष्ट रिपोर्ट की हैं कि मूलचन्द जिस जमीन को अपनी बताता हैं वह तो रास्ते के पार हैं जो स्पष्टतया सायरमल की खातेदारी की हैं। इसी रिपोर्ट दिनांक 8.6.2012 एवं 1.6.2012 में यह भी अंकित किया है कि मामला सीमा सम्बन्धी विवाद का है। अतः सीमाज्ञान मोमिया शीट के द्वारा भू–प्रबन्ध विभाग से कराये जाने पर ही विवाद का समाधान सम्भव है। इन सभी तथ्यों की अनदेखी कर रिपोर्ट दिनांक 01.06.2012, 08.06.2012 एवं 13.06.2012 जोकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौजूद है, के विपरीत मनमाने तौर पर बिना विवेक का उपयोग किये बेदखली का निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट्स के पड़ोसी काश्तकारान ने अपने लिखित बयानों में जाहिर किया हैं कि अपीलान्ट्स का बाबूलाल पुत्र मूल्या, जाति–खटीक की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं हैं। अपीलान्ट्स अपने स्वयं की भूमि पर काबिज हैं। इन सबके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा भी मौका देखा गया। राजस्व नक्शे में अंकित सडक व मौके पर निर्मित सडक की स्थिति में अन्तर हैं। आराजी खसरा नं0 3378/मिन 2 रकबा 2 बीधा के कुछ हिस्से पर अप्रार्थी द्वारा अविधिक रूप से कब्जा किया हैं इसलिए उन्हें बेदखल कर प्रार्थी को कब्जा दिलाने का निर्णय पारित करता हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो कभी मौका मायना किया गया और न ही अपनी आज्ञा में कही स्पष्ट रूप से अंकित किया हैं कि रेस्पोडेन्ट् की कितनी भूमि पर अपीलान्ट्स द्वारा अविधिक रूप से कब्जा किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा में नाप–जोख करने का कोई उल्लेख नहीं हैं। पारित की गई आज्ञा स्पीकिंग आज्ञा नहीं हैं और न ही तथ्यों के अनुरूप पारित की गई हैं। मनमाने तौर पर अविधिक रूप से पारित की गई आज्ञा अवैध होने से निरस्तनीय हैं। अतः अपील–अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 01.09.2014 निरस्त फरमाई जावे।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर का कथन हैं कि अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 01.09.2014 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप गुणावगुण के आधार पर पारित की गई हैं। मौके पर अपीलान्ट्स का रेस्पोडेन्ट् की आराजी पर अतिक्रमण पाये जाने पर ही बेदखली के आदेश पारित किये गये हैं। अतः अपील–अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 01.09.2014 यथावत रखे जाने के आदेश फरमाये जावे।

हमने उभय–पक्षो की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का चौरू से मौका रिपोर्ट चाहे जाने पर पटवारी हल्का ने दिनांक 01.06.2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया हैं कि आराजी खसरा नं0 3378/मिन 2 रकबा 2 बीधा के कुछ हिस्से में सडक डामरीकरण डाली जा चुकी हैं तथा शेष हिस्सा खाली पडा हैं, दोनो पक्षों में सीमा विवाद हैं तथा कई बार दोनो पक्ष विभिन्न पक्ष सीमाज्ञान करवा चुके हैं। बार–बार नक्शा लठ्ठा से सीमाज्ञान की बजाय आराजी खसरा नं0 3378/मिन 2, खसरा नं0 3415, 3426 व 3438 का सीमाज्ञान मौमिया शीट के द्वारा भू–प्रबन्ध विभाग से करवाये जाने पर ही विवाद का समाधान संभव हैं। भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 08.06.2012 न तो उक्त तथ्यों के साथ यहां तक लिखा गया हैं कि मूलचन्द जिस जमीन को अपनी बताता हैं वह तो रास्ते के पार हैं जो स्पष्टतः सायरमल के खातेदारी की हैं। फर्द मौका सीमाज्ञान आराजी खसरा नं0 3378 रकबा 2 बीधा दिनांक 13.06.2012 पटवारी हल्का चौरू, मण्डावरा, फागी पश्चिम व भू–अभिलेख निरीक्षक, फागी में भी सीमाज्ञान मुताबिक नक्शा लठ्ठा सम्पूर्ण सीमाओं का सीमाज्ञान कराया जाना जाहिर हैं। ऐसी स्थिति में जबकि नक्शा लठ्ठा के अनुसार सीमाज्ञान कराया गया हैं मौका रिपोर्टो में वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 3378/मिन 2 पर कोई अतिचार नहीं होने का उल्लेख हैं। ऐसी स्थिति में बिना किसी आधार के व अधीनस्थ तहसीलदार, फागी द्वारा बिना मौके पर गये व बिना मौके पर नाप–जोख किये यह निर्णय करना कि आराजी खसरा नं0 3378/मिन 2 रकबा 2 बीधा जिसकी खातेदारी प्रार्थी के पिता मूल्या जाति–खटीक के नाम हैं, कुछ हिस्से पर अप्रार्थी द्वारा अविधिक रूप से कब्जा किया गया हैं जिसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 183 बी के तहत बेदखल कर प्रार्थी को कब्जा दिलाने का निर्णय पारित करता हैं, न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसे कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं जिससे यह सिद्ध होता हो कि तहसीलदार, फागी द्वारा मौके पर नाप–जोख की गई हो और उसमें मूल्या, जाति–खटीक की आराजी पर अपीलान्ट्स का अतिचार पाया गया हो जबकि मौका रिपोर्ट दिनांक 08.06.2012 में स्पष्ट अंकित हैं कि मूलचन्द जिस जमीन को अपनी बताता हैं वह तो रास्ते के पार हैं जो स्पष्टतः सायरमल की खातेदारी की हैं। रिपोर्ट दिनांक

01.06.2012 में स्पष्ट अंकित हैं कि खसरा नं0 3378/मिन 2 रकबा 2 बीधा के कुछ हिस्से में सडक डामरीकृत डाली जा चुकी हैं तथा शेष हिस्सा खाली पडा हैं। मौके पर स्थित शेष रकबा लेने के लिए प्रार्थी बाबूलाल कतई तैयार नही हैं। उक्त दोनों रिपोर्ट में यह भी अंकित किया गया हैं कि मामला सीमा विवाद का हैं अतः नक्शा लठ्ठा से सीमाज्ञान की बजाय खसरा नं0 3378/मिन 2, 3415, 3426 व खसरा नं0 3438 का सीमाज्ञान मोमिया शीट के द्वारा भू–प्रबन्ध विभाग से करवाये जाने पर विवाद का समाधान संभव हैं। पटवारी हल्का/गिरदावर हल्का द्वारा की गई रिपोर्ट पर अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की समालोचना नहीं की गई हैं, और इन रिपोर्टो में अपीलान्ट्स का वादग्रस्त आराजी पर अतिचार होना नहीं पाया गया हैं तो वादग्रस्त आराजी के कुछ हिस्से पर अप्रार्थी का अविधिक रूप से कब्जा होना पीठासीन अधिकारी तहसीलदार, फागी द्वारा किस आधार पर पाया हैं, पत्रावली से जाहिर नहीं होता हैं। उक्त विवेचनानुसार अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 01.09.2014 को न्याय–संगत नहीं पाते हैं। अतः अपील–अपीलान्ट्स स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 01.09.2014 निरस्त की जाती हैं और प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता हैं कि उभय–पक्षकारान् को सुनवाई साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाकर व स्वयं की उपस्थिति में सीमाज्ञान कराया जाकर प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर पुनः विधि–सम्मत् निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 07.12.2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

7/12/17

(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर